प्रेषक,

संजय अग्रवाल,
प्रमुख सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

निबंधक
सहकारी समितियाँ, उ0प्र0
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग--3 लखनऊ : दिनांक : 22 दिसम्बर 2011.

विषय : राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली सहकारिता के विकास के लिये उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लि0 लखनऊ को दिये गये ऋणों के अतिदेयों के भुगतान हेतु बंद पड़े सहकारी शीतगृहों के निस्तारण की कार्यवाही के सम्बंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से प्राप्त ऋणों के प्रतिदान हेतु प्रथम चरण में शीतगृहों / प्रक्रिया इकाईयों की भूमि के जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट को न्यूनतम आधार मानते हुये तथा बिल्डिंग एवं मशीनरी आदि का निबन्धित Valuver से Valuation कराकर, सहकारी शीतगृहों / प्रक्रिया इकाइयों की बिक्री सहकारी संस्थाओं (पी0सी0एफ0 एवं उ0प्र0 राज्य भण्डारण निगम) / प्राधिकरणों / राज्य सरकार को की जायेगी तथा बिक्री से प्राप्त धनराशि से एन.सी.डी.सी. के देयों की अदायगी की कार्यवाही की जाय। उक्त प्रकियानुसार निस्तारण पर एन0सी0डी0सी0 के ऋणों के प्रतिदान हेतु वांछित धनराशि उपलब्ध नहीं होने की दशा में अवशेष शीतगृहों के निस्तारण हेतु तदुपरान्त सम्यक प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाये।

कृपया उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में अपेक्षित आवश्यक कार्यवाही तत्परता से कराया जाना सुनिश्चित करें ।

64
23/12/2011

भवदीय,

(संजय अग्रवाल)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 3271 (1) / 49-3-2011-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- गोपन अनुभाग--1 को उनके आदेश संख्या-4 / 3 / 18 / 2011-सी0एक्स0(1)दिनांक 21-12-2011 के संदर्भ में ।

......2 / -

2-- क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, लखनऊ।
3-- प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. कोआपरेटिव बैंक लि0, लखनऊ।
4-- अपर निबंधक, शीतगृह, सहकारी समितियाँ उ0प्र0 लखनऊ।
5-- वेब मास्टर, कार्यालय निबंधक, सहकारी समितियाँ उ0प्र0 लखनऊ
6-- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राकेश कुमार)
उप सचिव